भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2085

जिसका उत्तर दिनांक 16.12.2021 को दिया जाना है

देश की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता

2085 श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता और इसके माध्यम से पूरी हुई मांग का प्रतिशत क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित क्या–क्या लाभ पहले ही अर्जित किए जा चुके हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिबद्ध निवल शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की क्षमता में कितनी वृद्धि की जानी अपेक्षित है, इन्हें प्राप्त करने की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए की गई पहलों और दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) देश में मौजूदा संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 6780 MW है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय विद्युत का हिस्सा वर्ष 2020-21 में लगभग 3.1% था।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा संधारणीय आधार पर देश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संभावना होने के अलावा स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र ने अब तक 755 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है और इस प्रकार 650 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन होने से मुक्ति मिली है।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा है । इस संदर्भ में 6780 MW की वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता को निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर वर्ष 2031 तक 22480 MW तक बढ़ाए जाने की योजना है । भविष्य में और अधिक नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की योजना है ।

(घ) सरकार ने देश में नाभिकीय विद्यत संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं । इनमें शामिल है :

i. इक्विटी समर्थन के प्रावधान के साथ शीघ्रगामी (फ्लीट) मोड में स्थापित किए जाने वाले दस (10) स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करना ।

ii. नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी) और भारतीय नाभिकीय बीमा पूल के सृजन (आईएनआईपी) से संबंधित मुद्दों का समाधान ।

iii. परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करना जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम सम्भव हो सके ।

* * * * *